कार्यालयःजिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मुंगेली (छ0ग0)

—:सीधी भर्ती हेतु विज्ञापनः—

क्रमांक—8/दो—12—20/2018 **मुंगेली, दिनांक—12/01/2023**

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 20/02/2023 शाम 05:00 बजे तक

इस जिला स्थापना मुंगेली के अंतर्गत निम्नलिखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 20/02/2023 की शाम 05:00 बजे तक **रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर** के माध्यम से अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः—

रिक्त पदों का विवरणः—

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षित पद												अनारक्षित पद			
			अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				सामान्य			
			मु.	म.	दि.	भू.पू. सै.	मु.	म.	दि.	भू.पू. सै.	मु.	म.	दि.	भू.पू. सै.	मु.	म.	दि.	भू.पू. सै.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
									तृतीय श्रेणी पद									
01	सहायक प्रोग्रामर	**1**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02	स्टेनोग्राफर(हिन्दी)	**4**	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
03	स्टेनोग्राफर(अंग्रेजी)	**2**	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	सहायक ग्रेड—3 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक,आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जुनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक)	**25**	3	1	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	10	5	1	1
									चतुर्थ श्रेणी पद									
05	वाहन चालक	**1**	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश	**7**	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
									आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी									
07	वाटरमेन—05 चौकीदार—05 स्वीपर —06	**16**	3	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	6	2	-	-
	योगः—	**56**	**9**	**1**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**	**22**	**7**	**1**	**1**

संकेतक–मु.–मुक्त, **म.**–महिला, **दि.**–दिव्यांग **भू.पू.सै.**–भूतपूर्व सैनिक

महत्वपूर्ण टीपः–

1. आरक्षित/अनारक्षित वर्ग के पदों की संख्या में कमी अथवा वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्लूपीसी नंबर 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में पारित किये गये आदेश के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर द्वारा पारित किये जाने वाले निर्णय/आदेशों के अध्याधीन होगी।
2. जिस श्रेणी के उम्मीदवार में महिला/दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के पद आरक्षित है, यदि उक्त पद पर उस श्रेणी के योग्य उम्मीदवार नहीं पाये जाते है, जो अनारक्षित श्रेणी के मुक्त पदों के वरीयता के आधार पर चयन किया जाएगा।
3. माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा डब्लूपीसी नंबर 591/2012 तथा अन्य संबंधित प्रकरणों में दिनांक 19.09.2022 को आदेश पारित करते हुए आरक्षण प्रतिशत (58%) को असंवैधानिक घोषित किया गया है। अतः उक्त पारित अद्यतन आदेश के परिपेक्ष्य में निर्धारित आरक्षण 50 प्रतिशत रखा गया है।
4. सा.प्र.वि. क्र. एफ 3–1/2016/1–3 दिनांक 11.01.2017 के अनुसार महिलाओं के लिये आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिये ही लागू है।

–ःभर्ती की पात्रता एवं शर्तेंः–

(1) सहायक प्रोग्रामर पद के लिये–

1. वेतनमानः–
{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–9 (38100–120400)}

2. **उबन्टू लाईनक्स/ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/विण्डोज में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यताः–**

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान या संबंधित विषय में बी.ई./एम.एस.सी./बी.टेक/एम.सी.ए डिग्री।

अथवा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी स्नातक उपाधि के साथ डी.ओ.सी. से ''ए'' लेवल कोर्स या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी.जी.डी.सी.ए उतीर्ण तथा प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेयर डेव्हलपमेंट में तीन वर्ष का अनुभव।

नोटः– उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले/न्यायालय में ई–कोर्ट प्रोजेक्ट में कार्यानुभव वाले को प्राथमिकता दी जावेगी।

(02) स्टेनोग्राफर {हिन्दी} पद के लिये–

1. वेतनमानः–
{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (28700–91300)}

2. **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएंः–**

{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये **40** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{ब} छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। **(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)**

{स} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन {डी.सी.ए} प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(03) स्टेनोग्राफर {अंग्रेजी} पद के लिये–

1. वेतनमानः–
{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 (28700–91300)}

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएः–

{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये **40** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{ब} छत्तीसगढ़/मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन/मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र एवं अंग्रेजी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।
(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

{स} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन {डी.सी.ए} प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

(04) सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जुनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक) पद के लिये –

1. वेतनमानः–
{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000)}

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएः–

{अ} किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिये न्यूनतम **45** प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के लिये **40** प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{ब} किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन {डी.सी.ए} प्रमाण पत्र के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम कम्प्यूटर ज्ञान।

{स} हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।
(गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।)

(05) <u>वाहन चालक पद के लिये</u>–

1. वेतनमान :–

{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल–4 (19500–62000)}

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–

{अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{ब} सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जीवित एल.एम.व्ही. ड्राईविंग लायसेंस चिप लगा हुआ {हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लायसेंस)} तथा वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है।

(06) <u>भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश पद के लिये</u> –

1. वेतनमानः–

{छ0ग0 वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स के लेवल–1(15600–49400)}

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएंः–

{अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला (कक्षा पॉचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{ब} सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य/ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

(07) <u>आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद के लिये</u> –

1. वेतनमानः– कलेक्टर मुंगेली द्वारा निर्धारित दर पर।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएंः–

{अ} किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला (कक्षा पॉचवी) उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

{ब} सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य/ड्रायवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो तो) संलग्न करे।

<u>महत्वपूर्ण टीपः–</u>

ड्राईवर, कुक, माली, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई एवं प्लम्बर के कार्य के अनुभव प्राप्त उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने अनुभव के संबंध में अधिकृत प्राधिकारी/संस्था का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हो, लेकिन यदि प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर ऐसे अभ्यर्थी की सेवा तत्काल बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जावेगी एवं उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को चयन में कोई प्राथमिकता नहीं दी जावेगी।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तेः–

(1) रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवको को छुट होगी)

(2) {अ}. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो,नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

{ब}. कोई भी उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति/पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।

(3) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमीलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयुसीमा में राज्य शासन द्वारा जो छुट दी गई है वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छुटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थियों को हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी के प्रमाण पत्र एवं चतुर्थ श्रेणी के अभ्यर्थियों को पांचवी/आठवी के प्रमाण पत्र, जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते है, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(5) उच्चतम आयु सीमा में छूटः–

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निन्नानुसार छूट रहेगीः–

4 (एक) (1) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

4 (एक) (2) – यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ – 7–25–93/1 आ.प्र दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

4 (एक) (3) – छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य रहेगी।

4 (एक) (4) – ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालवधि

भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

> ***स्पष्टीकरणः–*** *छटनी किए गए शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराये या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से आधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया है।*

4 (एक) (5) – ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, किन्तु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4 (एक) (6) – महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

4 (एक) (7) – सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है। (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

4 (एक) (8) – स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वॉलंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार कर सेवा की उतनी कालवधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जावेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4 (एक) (9) – विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

4 (दो) (1) – आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग के कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागीय को सामान्य प्रशासन विभाग के क्रमांक सी 3/10/85/3/1 दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ मे अधिकतम आयु की सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (दो) (2) – विक्रम पुरस्कार सहित राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडूधर सम्मान, महाराज प्रवीण चंद भंजदेव सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामानय प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

4 (दो) (3) – उत्कर्ष खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–6–10/2004/1–9 दिनांक 06 जुलाई 2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप (1) बिंदू क्रमांक 4 (एक) में अधिकतम लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदू क्रमांक 4 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्य/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिन्दू क्रमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः– यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी, विक्रम पुरस्कार के आधार पर 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी, अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा 5 वर्ष की छूट अधिकतम आयोग की सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा, अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह के निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जावेगी।

(6) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले, और अर्हताओं की सामान्य शर्तो को पूरा करने पर ही ओवदन पत्र भेजे। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, अभ्यर्थी को अर्हत मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्पर पर अभ्यर्थी के अनर्हत पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्हत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हो, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचार किए जाएंगे, आरक्षित वर्ग के विरूद्ध नहीं।

250 शब्द (लगभग) का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा

(8) आरक्षित पद के विरूद्ध चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात् कार्यभार ग्रहण करते समय

राज्य शासन के ज्ञापन दिनांक 29.06.2013 में दिये गये प्रारूप के अनुसार जाति के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनका चयन/नियुक्ति निरस्त किया जावेगा।

(9) महिलाओं को नियमानुसार होरिजोंटल आरक्षण दिया जावेगा। लेकिन किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूर्ष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(10) यदि अभ्यर्थी कोई अन्य छूट आयु के संबंध में लेना चाहता है, तो राज्य सरकार के आयु सीमा के निर्देशों का उल्लेख एवं नियम बताते हुए दस्तावेज संलग्न कर छूट प्राप्त कर सकता है।

(11) तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद पर चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर के वित्त निर्देश क्रमांक 372/260/वि/नि/चार/2020, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29/07/2020 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28 जुलाई 2020 की अधिसूचना के आधार पर चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति **तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि** पर की जावेगी एवं उक्त परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को निम्नानुसार स्टाईपेंड देय होगाः–

प्रथम वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 70 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 80 प्रतिशत

तृतीय वर्ष – पद के वेतनमान न्यूनतम का 90 प्रतिशत

किन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टाईपेन्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह ही प्राप्त होते रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे केवल एक वर्ष के लिए और बढ़ाई जा सकेगी। इसके पश्चात् भी यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के द्वारा अपनी परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया गया है, तो उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।

(12) कोई पुरूष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित है, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने का विशेष कारण है, जो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगा।

(13) कोई भी अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(14) आवेदक को अच्छा चरित्र, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ स्वभाव का होना अनिवार्य है

तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता उनकी नियुक्ति हेतु अनर्ह होगी।

(15) दिव्यांग/निःशक्तजन अभ्यर्थियों को मेडिकल बोर्ड (सक्षम अधिकारी) का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रियाः—

(1) आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20/02/2023 की शाम 5:00 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से ''आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र'' लिखा हो। जिसे **कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली** {छ0ग0} पिन कोड नंबर 495334 के पते पर **रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर** द्वारा अंतिम तिथि के पूर्व भेजे जा सकेंगे। **अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं किये जावेंगे। दिनांक 20/02/2023 की शाम 5:00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।** आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण—पत्र स्वयं अभिप्रमाणित **(Self Attested)** प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। विज्ञापन व आवेदन पत्र के प्रारूप की प्रति जिला एवं सत्र न्यायालय, मुंगेली की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/mungeli से डाउनलोड की जा सकती है। निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त किये जावेंगे।

(2) आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिये आवेदन प्रस्तुत करना चाहता हो, तो उन्हें प्रत्येक पद के लिये पृथक—पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। यदि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं हुआ, तो उनका चयन नहीं किया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में अपने समस्त शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता की स्पष्ट और सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे तथा इस आशय का घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी भी समय अभ्यर्थी की ओर से उच्च शैक्षणिक, तकनीकी अथवा व्यवसायिक योग्यता घोषित नहीं किया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक योग्यता के संबंध में दी गयी जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पायी जाती है, तो चयन प्रक्रिया के किसी भी प्रक्रम पर अथवा नियुक्ति होने की स्थिति में नियुक्ति किसी भी समय पर निरस्त/समाप्त की जा सकेगी, साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। अभ्यर्थी की नियुक्ति के पश्चात् उक्त तथ्य के ज्ञात होने पर अभ्यर्थी के ऐसे कृत्य को गंभीर कदाचरण माना जावेगा तथा केवल इसी आधार

पर ही उसे बिना जांच के सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

(5) प्रत्येक अभ्यर्थी को चाहिये कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे, यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। त्रुटि अथवा अपूर्णता के आधार पर अभ्यर्थी को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन की किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।

(6) विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(7) आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साईज का रंगीन नवीनतम फोटो स्वतः का नाम व दिनांक लिखा हुआ चस्पा कर स्वप्रमाणित करेगा और दो अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करे।

(8) ई–मेल, फैक्स, व्हाट्सअप द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

(9) बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

–:नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया:–

(1) **सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जुनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक) पद के लिये**

(अ) प्रथम चरण– लिखित परीक्षा:–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुंगेली (छ.ग.) द्वारा गठित चयन समिति द्वारा एक लिखित स्वतंत्र परीक्षा आयोजित की जावेगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, कम्प्यूटर, इंटरनेट, छत्तीसगढ़ समसामयिक इत्यादि विविध विषयों के बहुविकल्पीय 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, प्रत्येक प्रश्न पर 02 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर चार विकल्प में से सही विकल्प के सामने नीली पेन से **राईट** (√) का निशान लगाना होगा, एक से अधिक विकल्प पर निशान लगाये जाने पर उत्तर गलत माना जाएगा। परीक्षा अवधि 1 घंटे की होगी।

2. लिखित परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा मेरिट अंको के आधार पर कुल रिक्त पदों के 10 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा में मेरिट सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

3. लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों की छटनी के लिए होगी। **केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार प्रावीण्य सूची तैयार किया जावेगा।** उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूची के साथ ही रिक्त पदों की संख्या की 01 गुणा वर्गवार प्रतीक्षा

सूची जारी की जावेगी, जो 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

4. कौशल परीक्षा में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। जन्मतिथि भी समान होने पर प्रथम भाग लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले उम्मीदवार को वरिष्ठता दी जावेगी। सर्वप्रथम अंतिम चयन सूची/प्रतीक्षा सूची (Provisional List) तैयार की जावेगी।

(ब) द्वितीय चरण– कौशल परीक्षाः–

लिखित परीक्षा में प्राप्तांको के आधार पर प्राविण्यता के क्रम में 10 गुना उम्मीदवारों को **सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी), सहायक ग्रेड–तीन के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जुनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक)** के पद के संबध में हिन्दी/अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर की कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जावेगा।

सहायक प्रोग्रामर पद के लिये

कौशल परीक्षा – 50 अंक

01– उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/विंडोज PHP, PostgressSQL व Networking से संबंधित तकनीकी कौशल परीक्षा ली जावेगी।

02– निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी को ऐसे शैक्षणिक योग्यता के लिए 02 अंक अतिरिक्त दिये जाएंगे, जो अधिकतम 04 अंक से अधिक नहीं होंगे। अभ्यर्थी को अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न घोषणा पत्र एवं उच्च योग्यता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिये

कौशल परीक्षा – 50 अंक

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए **1/5 अंक** काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्र आफिस (Libre Office) में ली जावेगी।

स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) पद के लिये

कौशल परीक्षा – 50 अंक

स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट

का अंग्रेजी श्रुतलेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 40 मिनट की समय सीमा अवधि में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा। डिक्टेशन/श्रुतलेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए **1/5 अंक** काटा जायेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्र आफिस (Libre Office) में ली जावेगी।

सहायक ग्रेड–03 के समकक्ष (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जुनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक) पद के लिये

कौशल परीक्षा – 50 अंक

उम्मीदवार को 250 शब्द (लगभग) का हिन्दी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा, प्रत्येक त्रुटि के लिए **1/5 अंक** काटा जावेगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाईप की प्रत्येक अशुद्धि के लिये भी होगा।

कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्र आफिस (Libre Office) में ली जावेगी।

(2) <u>वाहन चालक पद के लिये</u>

वाहन परिचालन में प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा–50 अंक।

उक्त पद के लिए वाहन चालक से वाहन परिचालन में प्रायोगिक(दक्षता/कौशल) परीक्षा के अतिरिक्त उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में भी परखा जाएगा

1. वाहन चालक पद के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में वाहन चालक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) <u>भृत्य/दफ्तरी कम फराशं पद के लिये</u>

प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु– 50 अंक।

भृत्य से प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उक्त पद के लिए उपयुक्तता/ शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में भी परखा जाएगा।

1. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस

अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में भृत्य/दफ्तरी कम फर्राश पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) **आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, चौकीदार, स्वीपर) पद के लिये –**

प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा हेतु– 50 अंक।

उक्त पद के लिए प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता और व्यक्तित्व एवं कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जाएगा।

1. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जावेगी, प्रतीक्षा सूची अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरियता तय की जाएगी। जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। जन्मतिथि एवं प्राप्तांक के समान होने की दशा में आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर पर) वेतन पाने वाले कर्मचारी पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा उसे प्राथमिकता दी जाएगी।
3. चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर मुंगेली द्वारा समय–समय पर निर्धारित दैनिक वेतन पर नियुक्त किया जाएगा एवं उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त कर दी जावेगी।

–:महत्वपूर्ण निर्देशः–

(1) प्राप्त आवेदन पत्रों की कुट परीक्षण उपरांत पात्र–अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाईट तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जाएगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर स्वतः आकर लिखित आपत्ति, चयन समिति के समक्ष पेश करेंगे। अन्तिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/mungeli तथा सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी।

(2) यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलम्ब से प्राप्त होती है, तो उसके लिए कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी स्वयं सचेत रहे और उक्त वेबसाईट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

(3) डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों के निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने

की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।

(4) यह विज्ञापन बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।

(5) जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/चयन प्रक्रिया को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी।

(6) लिखित एवं कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित रहना होगा, उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा (जो भी लागू हो) में शामिल करने हेतु आवेदनों की शार्ट लिस्टींग की जावेगी, जिसका मापदण्ड नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति तय करेगी।

(8) अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में कौशल परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।

(9) लिखित/कौशल परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला न्यायालय मुंगेली के वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/mungeli पर अपलोड की जावेगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उपस्थित होना होगा, विलंब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जायेगा।

(10) परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन या अन्य संचार यंत्र वर्जित रहेंगे।

(11) सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर का पत्र क्रमांक 1269/23/मु.म.नि./2014/1–7 दिनांक 23/08/2014 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जावेगी।

(12) चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मूल प्रति के अभाव में उनका चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

(13) चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय मुंगेली के चिकित्सा बोर्ड के स्वास्थ्य **(Fitness)** प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा तथा आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवार के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन सचांलक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ रायपुर से कराए जाने पर विपरीत प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा। कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस वेरीफिकेशन भी कराया जावेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(14) चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेली का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी

होगा।

(15) चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति सिविल जिला मुंगेली के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकेगी तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना आवश्यक होगा।

(16) प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित अभिलेख अंतिम चयन परिणाम के 6 माह के पश्चात् विनिष्टिकरण किये जाने योग्य होंगे तथा उक्त अवधि के पश्चात् सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत चयन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि/निरीक्षण के लिए आवेदन मान्य नहीं होंगे।

(17) लिखित/कौशल परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है।

(18) जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जावेगी।

(19) **अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से अन्य निर्णय भी लिया जा सकेगा, जो मान्य होगा।**

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी अभ्यर्थी ने सहायक प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर (हिन्दी/अंग्रेजी) एवं सहायक ग्रेड–03 (साक्ष्य लेखक, प्रतिलिपिकार, निष्पादन लिपिक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, जुनियर नायब नाजिर, सहायक अभिलेखापाल, सहायक सांख्यिकी लिपिक) तीनों या सभी पदों के लिए आवेदन दिया है, तो ऐसे अभ्यर्थी की एक ही बार लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा ली जाएगी, जो तीनों या सभी पदों के लिए मान्य होगी, लिखित परीक्षा का अंक कौशल परीक्षा में नहीं जोड़ा जावेगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर योग्य उम्मीदवार की वर्गवार तथा पृथक से चयन सूची तैयार की जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थियों का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक की नियुक्तिकर्ता अधिकारी की ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जावे, इस बात का समाधान न हो जावे कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

Sd/-

अध्यक्ष
चयन समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय,
मुंगेली (छ.ग.)